



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 949]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 6, 2017/चैत्र 16, 1939

No. 949]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 6, 2017/CHAITRA 16, 1939

जनजातीय कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2017

का.आ. 1075(अ).—राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य (सेवा की शर्तें एवं पदावधि) नियम, 2004 के नियम 4 के उप-नियम (1) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (3) के अधीन उनमें निहित शक्तियों के आधार पर तारीख 08 फरवरी, 2017 को जारी किए गए नियुक्ति अधिपत्र के अनुसरण में, श्री नन्द कुमार साय को अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख अर्थात् 28 फरवरी, 2017 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग में अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया गया है।

[फा. सं. 18012/1/2011—सीएंडएलएम—II(भाग—II)]

ललसंगलुर, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2017

S.O. 1075(E).—In pursuance of the Warrant of Appointment issued by the President on 08th February, 2017 by virtue of the powers vested in him under clause (3) of article 338A of the Constitution read with sub-rule (1) of rule 4 of the National Commission for Scheduled Tribes Chairperson, Vice-Chairperson and Members (Conditions of Service and Tenure) Rules, 2004, Shri Nand Kumar Sai has been appointed as Chairperson in the National Commission for Scheduled Tribes, for a term of three years, with effect from the date of assuming the office i.e. on the 28th February, 2017 (Forenoon).

[F. No. 18012/1/2011-C&LM-II(Pt.-II)]

LALSANGLUR, Economic Adviser

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd March, 2017

S.O. 785(E).—In pursuance of the Warrant of Appointments issued by the President of India on the 30th December, 2016 by virtue of the powers vested in him under clause (3) of article 338A of the Constitution read with sub-rule (1) of rule 4 of the National Commission for Scheduled Tribes Chairperson, Vice-Chairperson and Members (Conditions of Service and Tenure) Rules, 2004, the following persons have been appointed against the posts shown against each of them, in the National Commission for Scheduled Tribes with effect from the dates they assumed their office, namely:—

S. No.	Name	Post	Date of assuming office
1.	Miss Anusuiya Uikey	Vice-Chairperson	16th January, 2017 (Afternoon)
2.	Shri Harshadbhai Chunilal Vasava	Member	16th January, 2017 (Forenoon)
3.	Shri Hari Krishna Damor	Member	16th January, 2017 (Forenoon)

[F. No. 18012/1/2011-C&LM-II]

LALSANGLUR, Economic Adviser



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 706]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 9, 2017/फाल्गुन 18, 1938

No. 706]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 9, 2017/PHALGUNA 18, 1938

जनजातीय कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2017

का.आ. 785(अ).—भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य (सेवा की शर्तें एवं पदावधि) नियम, 2004 के नियम 4 के उपनियम (1) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (3) के अधीन उनमें निहित अधिकारों के आधार पर 30 दिसम्बर, 2016 को जारी किए गए नियुक्ति वारंट के अनुसरण में, निम्नलिखित व्यक्तियों को, उनमें से प्रत्येक के सामने दर्शित पदों के सामने, उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से नियुक्त किया गया है:—

क्रम सं.	नाम	पद	पदभार ग्रहण करने की तारीख
1.	सुश्री अनुसुईया उइके	उपाध्यक्ष	16 जनवरी, 2017 (अपराह्न)
2.	श्री हर्षदभाई चुनीलाल वसावा	सदस्य	16 जनवरी, 2017 (पूर्वाह्न)
3.	श्री हरिकृष्ण डामोर	सदस्य	16 जनवरी, 2017 (पूर्वाह्न)

[फा. सं. 18012/1/2011-सीएंडएलएम-II]

लालसंगलुर, आर्थिक सलाहकार

